

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

मानसिंह पुत्र चनपतराम
जाति-जाट नि०-करनपुरा
ब०-भादरा

उनवान

बनाम

1 शारदा 2 सुदेश 3. कान्ता पुत्रीया चनपतराम
4. शकुन्तला/जाति-जाट नि० करनपुरा भादरा

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 227/2021

निर्णय दिनांक :- 15-12-2021

वादी की ओर से वकील विनोद युगियाँ की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील उमेश मोहसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.12.21 को

शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर
आदेश दिया जाता है कि रौही मौजा करनपुरा थारानी के खता नं०
224/198 के खसरा नं० 493/1 की 4.350 हे०, खसरा नं० 494
की 3.149 हे०, खसरा नं० 495/5 की 4.224 हे०, खसरा नं०
513 की 2.833 हे०, खसरा नं० 707/525 की 0.948 हे०
कुल 15.504 हे० थारानी में मनी देवी पत्नी चनपतराम
के नाम 1/2 हिस्सा खोटेपारी दर्ज है में मनी देवी का नाम
अमलमजन किया जाकर मानसिंह पुत्र चनपतराम को
स्वतंत्र काश्तकार घोषित किया जा रहा है प्रतिवादी स 1 ता
4 के द्वारा क्या किट गह हिस्सा पर पंजीयन शुल्क अदा
काले व कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त
उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलमजमन किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शिवर प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा
प्र.गा. के संग अ-2021
कैम्प - 15/12/21